an>

Title: Need to give exemption to candidates belonging to General and Backward Classes who have cleared TET examination and not having B.Ed. Degree for appointment as teachers in Bihar.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : मैं सरकार का ध्यान बिहार के शिक्षक को टी.ई.टी. परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं पर इन्हें नौकारी नहीं मिल रही है, की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने का मापदण्ड समान होता है पर शिक्षक नियोजन की इस परीक्षा में जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा बी0एड0 करने के लिये 5 वर्षों की छूट दी गई है वहीं पिछड़ों एवं सामान्य छात्रों को यह छूट नहीं दी जा रही है जबकि भारत सरकार की दृष्टि में पिछड़े एवं अति पिछड़े दोनों ओ.बी.सी. में ही आते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यह अनुरोध होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक बराबर मानते हुए सामान्य जाति एवं पिछड़े जाति के छात्रों को भी बी.एड. से उतनी ही दिन की छूट मिले जितना अति पिछड़े एवं एस.सी.,एस.टी. छात्रों को मिल रही है इससे न केवल हजारों छात्रों को नौकरी मिलेगी बल्कि बिहार में शिक्षा का भी सुधार होगा।